

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 17, सोमवार, शाके 1947- दिसम्बर 08, 2025 Agrahayana 17, Monday, Saka 1947- December 08, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 31, 2025

संख्या प.9(104)राज.1/2025-28609:-राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956(1956 का अधिनियम संख्या--15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर, **फलोंदी** एवं राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि **जिला फलोंदी की तहसील फलोंदी एवं आऊ** के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-7 में अंकित मजरी/ढाणियां को एतदपश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या-8 के अनुसार है :-

क्र. सं.	जिला / तहसील	ग्राम पंचायत / पंचायत समिति	मूल राजस्व ग्राम का विवरण			नवीन राजस्व ग्राम का विवरण			दूरी KM	शेष मूल राजस्व ग्राम का विवरण	
			ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (है.में)	जन संख्या 2011	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (है.में)	जन संख्या 2011		क्षेत्रफल (है.में)	जन संख्या 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	फलोंदी / फलोंदी	उदाणियों की ढाणी / आऊ	उदाणियों की ढाणी LG Code 84379	2279.1124	1481	नयाबेरा Naya Bera	139.2278	342	1.5	2139.8846	1139
2		उग्रास / फलोंदी	उग्रास LG Code 84216	5948.4340	2452	पतेरी नगर Pateri Nagar	763.0739	195	5	5185.3601	2257
3	फलोंदी / आऊ	गोरच्छिया का बेरा / आऊ	गोरच्छिया का बेरा LG Code 84327	1418.8259	858	श्री वीर बिग्गाजी नगर Sri Veer Biggaji Nagar	315.7760	263	2	1103.0499	595

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 107 में निहित प्रावधानों के तहत उक्त मूल राजस्व ग्रामों एवं नवघोषित राजस्व ग्रामों के खसरा जमाबन्दी, नक्शे आदि अभिलेखों को पृथक कर उनके संधारण हेतु **जिला**

कलक्टर, फलौदी को अधिकृत किया जाता है। जिला कलक्टर उक्त ग्रामों के अभिलेखन कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को भी सूचित करेंगे।

हरि सिंह मीना,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।